

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/905 लक्ष्मी देवी अग्रवाल बनाम विवेक अग्रवाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से श्री सतीश कुमार पारीक एडवोके उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस एडमीशन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने अपील विरुद्ध नामान्तरकरण अपील धारा 75 प्रकरण संख्या 5/24 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलाधीन स्थगन आदेश दिनांक 20.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं होने से परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। इस न्यायालय के स्तर से पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(दीप्ति कछवाहा) अति-संगणकीय आयुक्त ऑनररिजिस्ट्रार संगणकीय आयुक्त जयपुर</p>	